केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली – 110 067

CIC/AA/A/2020/68
CICOM/A/P/20/00029
CICOM/R/P/2020/00009

अपीलकर्ता का नामः श्री एस0 सी0 गर्ग
रानीबाजार, सहारनपुर, उत्तर पद्रेश।
पिन– 247 001

1.	आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	23.12.2019
2.	आर.टी.आई. आवेदन के जवाब की तिथि	21.01.2020
4.	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, जिन्होंने जवाब दिया	श्री एस0 सी0 शर्मा, डी0आर0, सू0आ0–एन.जी., सीआईसी।
3.	प्रथम अपील की तिथि	21.02.2020
5.	निर्णय की तिथि	09.03.2020

प्रथम अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्यः-

1. अपीलकर्ता ने अपने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दिनांक 12.11.2019 को प्रेषित अपनी गैर–अनुपालन याचिका, जो प्रार्थी के सात द्वितीय अपीलों के संदर्भ में आयोग द्वारा पारित द्वितीय अपीलीय आदेशों के संदर्भ में थी, पर की गयी कार्रवाई की सूचना की मांग, पांच बिंदुओं के अंतर्गत की थी।

सीपीआईओ का जवाब :-

2. उपरोक्त आर.टी.आई. आवेदन के जवाब में श्री एस0 सी0 शर्मा, सीपीआई–सह–डी0आर0, सू0आ0–आईसी(एन0जी0)ए सीआईसी ने प्रार्थी को निम्नलिखित सूचना प्रेषित की:

Point No.1	In respect of compliance of CIC order in appeal No. CIC/NWRLY/A/2018/120326 and appeal No. CIC/NWRLY/A/2018/104625, by the respondent, it is to intimate that the CPIO has submitted the affidavit to the Commission with a copy to you deposing that the RTI application was not received in their office, vide letter dated 19.09.2019. However, for other part of compliance in this case, the matter has been taken up with the CPIO for providing the information within 07 days. Similarly, in respect of compliance of case. No. CIC/NWRLY/A/2018/104625, directions of CIC in respect of providing copy

C. I. C./कें० सू० आ०
RECEIVED
11 MAR 2020
D. No.
Initials.

	of letter dated 08.02.2018, the CPIO has complied the CIC directions by providing you copy of the same vide letter dated 27.09.2019.
Point No.-2	In respect of compliance of CIC order in appeal No. CIC/NWRLY/C.2018/109250, it was directed to the CPIO to provide copy of letter dated 12.02.2018, which has been provided to you vide CPIO letter dated 25.09.2019. Accordingly, the directions of the CIC have been complied with.
Point. No. 3	In respect of compliance of CIC order in appeal No. CIC/NWRLY/A/2018/103873 and Appeal No. CIC/NWRLY/A/2018/104626, copy of letter dated 23.01.2018 and copy of letter dated 12.02.2018, have been provided to you by CPIO vide his letter dated 25.09.2019. Similarly, in respect of compliance of CIC order in appeal No. CIC/NWRLY/A/2018/104626, the respondent has provided you copy of letter dated 06.11.2017 and letter dated 05.03.2018 vide his letter dated 25.09.2019 and accordingly complied the CIC orders.
Point No. 4	In respect of compliance of appeal No. CIC/NWRLY/A/2018/104623, the Commission observed that the action/steps taken by the respondent in dealing with the RTI application is satisfactory. The appellant, if he so wishes, may deposit photo copy charges in order to obtain information, within 15 days from the date of receipt of this order. Accordingly, there are no directions to the CPIO and hence the non-compliance matter does not arise.
Point No. 5	In respect of Compliance of CIC order in respect of appeal No. CIC/RAILB/A/2018/109609, the CPIO, as per the directions given in the above order (Para 9, 10 and 11) has provided the information, vide letter dated 04.09.2019, 06.09.2019 and 14.10.2019 (copies enclosed). Accordingly, action, where required, has been taken as per the above detail.

प्रथम अपील का आधार :-

3. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री एस0 सी0 शर्मा, डी0आर0, सू0आ0–एन.जी., सीआईसी के जवाब से असंतुष्ट होते हुए प्रार्थी ने प्रथम अपील दाखिल किया है, जिसमें प्रार्थी की शिकायत यह है कि उनके उपरोक्त द्वितीय अपीलों के संदर्भ में पारित द्वितीय अपीलीय आदेशों के अनुपालन में वस्तुतः संबंधित प्रतिवादी पक्ष, अर्थात रेलवे द्वारा कोई सूचना ही प्रदान नहीं की गयी है।

निर्णय :-

4. प्रथम अपील प्रपत्र, आरटीआई आवेदन और सीपीआईओ के जवाब का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अपने आवेदन के माध्यम से अपने विभिन्न सात द्वितीय अपीलों के संदर्भ में आयोग द्वारा पारित द्वितीय अपीलीय आदेशों के अनुपालन की वस्तुस्थिति की सूचना की मांग की है। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सीआईसी ने अपने जवाब में आयोग के रिकार्ड में उपलब्ध वस्तुस्थिति से संबंधित सूचना प्रार्थी को प्रेषित कर दी है। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(च) के प्रावधानों के अनुसार एक जन सूचना अधिकारी, संबंधित लोक प्राधिकरण के रिकार्ड में एक सामग्री के रूप में उपलब्ध सूचना ही प्रदान कर सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब तथ्यात्मक और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप है। अतः प्रस्तुत संदर्भ में प्रथम अपीलीय अधिकारी की तरफ से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. यदि अपीलकर्ता प्रस्तुत निर्णय से असंतुष्ट हैं और चाहते हैं, वो केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110 067 के समक्ष इस निर्णय के विरूद्ध 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक : मार्च 09, 2020

मीना शर्मा 09/03/2020

(श्रीमती मीना बी0 शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 26162290

प्रतिलिपि :-

CNN 11/3/20

1. **सी.पी.आई.ओ., आर.टी.आई. सेल, सीआईसी, नई दिल्ली।**
2. **श्री श्री एस0 सी0 शर्मा, डी0आर0, सू0आ0–एन.जी., सीआईसी, नई दिल्ली।**

12/3/20